

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-06/2015-281 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 21.03.2016

प्रेषक,

सेवा में,

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

विषय : बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0001-प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि का आवंटन।

प्रसंग: संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना का पत्रांक:-305 दिनांक-23.02.2016/सारण का पत्रांक:-167 दिनांक-26.02.2016/पूर्णिमा का पत्रांक:-128 दिनांक-15.03.2016/जिला कृषि पदाधिकारी पटना का पत्रांक:-426 दिनांक-23.02.2016/खगड़िया का पत्रांक:-162 दिनांक-03.03.2016/कटिहार का पत्रांक:-204 दिनांक-16.02.2016 एवं पत्रांक:-277 दिनांक-03.03.2016/अररिया का पत्रांक:-136 दिनांक-25.01.2016/बाँका का पत्रांक:-368 दिनांक-20.02.2016/मुजफ्फरपुर का पत्रांक:-835 दिनांक-11.03.2016 एवं पत्रांक:-434 दिनांक-06.02.2016/भागलपुर का पत्रांक:-669 दिनांक-04.03.2016/बेगुसराय का पत्रांक:-525 दिनांक-11.03.2016/पूर्वी चम्पारण का पत्रांक:-398 दिनांक-02.03.2016/सहायक निदेशक पौंस० सहरसा का पत्रांक:-66 दिनांक-04.03.2016/रोहतास का पत्रांक:-51 दिनांक-04.03.2016/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सहरसा का पत्रांक:-42 दिनांक-13.02.2016/अररिया का पत्रांक:-27 दिनांक-05.03.2016/सीतामढ़ी पूर्वी का पत्रांक:-88 दिनांक-08.03.2016 एवं पत्रांक:-342 दिनांक-21.12.2015/सीतामढ़ी पश्चिमी का पत्रांक:-68 दिनांक:-29.02.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त राशि संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹1,77,33,585 (एक करोड़ सतहत्तर लाख तैंतीस हजार पाँच सौ पचासी रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2 इस राशि की निकासी बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग संख्या-1 उपशीर्ष-0001-प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना, विपत्र कोड-N2401001090001, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि. (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृतादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक

281(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 21-03-2016

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

निदेशक प्रशासन सह अवर सचिव।

कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक -

281(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 21-03-2016

प्रतिलिपि :- विवरण सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन सह अवर सचिव।

कृषि विभाग, बिहार, पटना

विहार सरकार
कृषि विभाग

बजट शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-0001- प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना- विपत्र कोड N2401001090001 के अन्तर्गत वि. वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त राशि का आवंटन ।

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन 0101	जीवन यापन भत्ता 0103	मकान किराया भत्ता 0104	परिवहन भत्ता 0105	चिकित्सा भत्ता 0106	अन्य भत्ता 0107	योग वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति 0601	यात्रा व्यय 1101	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ 28 01	अनुग्रह अनुदान 3102	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	संयुक्त निदेशक (शष्प), पटना।	12,15,000	13,50,850	1,14,875	11,500	5,400		26,97,625					26,97,625
2	संयुक्त निदेशक (शष्प), सारण।							-		1,500			1,500
3	संयुक्त निदेशक (शष्प), पूर्णियाँ।	32,000	38,000	4,040	-	200		74,240					74,240
4	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।							-	51,000	50,000			1,01,000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।							-			2,00,000		2,00,000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	4,04,440	3,62,280	30,450		3,400	1,300	8,01,870					8,01,870
7	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	3,00,000	2,00,000					5,00,000					5,00,000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, बाँका।	9,00,000	10,00,000	1,90,000		8,000		20,98,000					20,98,000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	5,00,000	5,50,000	50,000				11,00,000				4,00,000	15,00,000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	3,80,360	3,10,810	38,090				7,29,260					7,29,260
11	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय।							-			15,00,000		15,00,000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।							-			20,00,000		20,00,000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।	5,75,900	6,85,320	48,200		2,000		13,11,420		48,830			13,60,250
14	सहायक निदेशक पौंसं, सहरसा।	2,88,730	1,74,580					4,63,310					4,63,310
15	सहायक निदेशक पौंसं, रोहतास।	9,25,000	10,00,000	50,000		3,500		19,78,500					19,78,500
16	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	1,86,790	2,22,280	15,850		1,600	180	4,26,700					4,26,700
17	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, अररिया।	1,72,140	2,04,850	17,220		3,000	120	3,97,330					3,97,330
18	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी पूर्वी।	3,04,000	3,50,000	40,000				6,94,000					6,94,000
19	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी पश्चिमी।	1,00,000	1,10,000					2,10,000					2,10,000
	कुल योग-	62,84,360	65,58,970	5,98,725	11,500	27,100	1,600	1,34,82,255	51,000	1,00,330	37,00,000	4,00,000	1,77,33,585

कुल योग-(एक करोड़ सतहत्तर लाख तैंतीस हजार पाँच सौ पचासी रु०) मात्र।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।